



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 अगस्त, 2013

श्रावण 31, 1935 शक संम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग-11

संख्या 2314/15-11-2013-1499(204)-2004

लखनऊ, 22 अगस्त, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-51

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

1-(1) यह नियमावली 'उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013' कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2010, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

आयु 10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

आयु 10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

नियम 20 का
प्रतिस्थापन

3-उक्त नियमावली में नियम 20 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1**विद्यमान उपनियम**

इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट-क में दिये गये हैं।

परिशिष्ट 'क' का
प्रतिस्थापन

4-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट 'क' के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जाएगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1**विद्यमान परिशिष्ट****परिशिष्ट 'क'**

[नियम 4(1) और 20(2) देखिये]

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**

उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट-क में दिये गये हैं।

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान		
		स्थायी	अस्थायी	योग	वेतनबैण्ड का नाम/ वेतनमान	तत्सदृश वेतनबैण्ड/ वेतनमान (रु०)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शोध सहायक, हिन्दी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
2	शोध सहायक, अंग्रेजी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
3	शोध सहायक, गणित, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
4	शोध सहायक, विज्ञान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
5	शोध सहायक, सामाजिक विषय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
6	शोध सहायक, शिक्षाशास्त्र, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
7	प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	140	140	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
8	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
9	प्रवक्ता, हिन्दी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
10	प्रवक्ता, अंग्रेजी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
11	प्रवक्ता, उर्दू, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
12	प्रवक्ता, गणित, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
13	प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
14	प्रवक्ता, कला, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
15	प्रवक्ता, गृह विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
16	प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
17	प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
18	प्रवक्ता, जीव विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
19	प्रवक्ता, सामाजिक विषय-1, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
20	प्रवक्ता, सामाजिक विषय-2, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
21	प्रवक्ता, सांख्यिकी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
22	प्रवक्ता, समाज कार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
23	शोध प्रवक्ता, हिन्दी, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	03	—	03	"	"	"
24	शोध प्रवक्ता, संस्कृत, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	03	—	03	"	"	"
25	सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
26	प्रवक्ता, अंग्रेजी, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	04	—	04	"	"	"
27	प्रवक्ता, हिन्दी, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
28	प्रवक्ता, अंग्रेजी, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
29	प्रवक्ता, संस्कृत, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
30	प्रवक्ता, उर्दू, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
31	प्रवक्ता, गणित, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
32	प्रवक्ता, जीव विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
33	प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
34	प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
35	प्रवक्ता, इतिहास, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
36	प्रवक्ता, भूगोल, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
37	प्रवक्ता, नागरिक शास्त्र, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
38	प्रवक्ता, गृह विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
39	प्रवक्ता, कला, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
40	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
41	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
42	प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
43	सीनियर टेस्टर, मनोविज्ञान-शाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
44	परामर्शदाता, मनोविज्ञान-शाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
45	गार्डिन्स काउन्सलर, मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
46	मनोवैज्ञानिक (अराजपत्रित), मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
47	व्यवसायिक निर्देशन अधिकारी, मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
48	सांख्यिकी अधिकारी, मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
49	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
50	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	01	—	01	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
51	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा	01	—	01	"	"	"
52	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा	01	—	01	"	"	"
53	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
54	प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
55	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	01	—	01	"	"	"
56	प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	04	—	04	"	"	"
57	प्रवक्ता, गणित, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	01	—	01	"	"	"
58	प्रवक्ता, जीव विज्ञान, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	01	—	01	"	"	"
59	वोकेशनल गाईडेन्स काउन्सलर, मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र	10	—	10	"	"	"
60	सहायक मनोवैज्ञानिक, मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र	10	—	10	"	"	"

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'क'

[नियम 4(2) और 20(2) देखिये]

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनक्रम		
		स्थायी	अस्थायी	योग	वेतन बैण्ड का नाम/ वेतनमान	तत्सदृश वेतन बैण्ड/ वेतनमान (रु०)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रवक्ता (शोध), हिन्दी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	वेतनबैण्ड-2	9300-34800	4800
2	प्रवक्ता (शोध), अंग्रेजी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
3	प्रवक्ता (शोध), गणित, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
4	प्रवक्ता (शोध), विज्ञान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
5	प्रवक्ता (शोध), सामाजिक विज्ञान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
6	प्रवक्ता (शोध), शिक्षाशास्त्र, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
7	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	140	140	"	"	"
8	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
9	प्रवक्ता, हिन्दी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
10	प्रवक्ता, अंग्रेजी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
11	प्रवक्ता, उर्दू, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
12	प्रवक्ता, गणित, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
13	प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
14	प्रवक्ता, कला, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
15	प्रवक्ता, गृह विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
16	प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
17	प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
18	प्रवक्ता, जीव विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
19	प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान-1, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
20	प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान-2, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
21	प्रवक्ता, सांख्यिकी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
22	प्रवक्ता, समाज कार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
23	प्रवक्ता, हिन्दी, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	03	—	03	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
24	प्रवक्ता, संस्कृत, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	03	—	03	"	"	"
25	प्रवक्ता, अंग्रेजी, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
26	प्रवक्ता, अंग्रेजी, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	04	—	04	"	"	"
27	प्रवक्ता, हिन्दी, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
28	प्रवक्ता, अंग्रेजी, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
29	प्रवक्ता, संस्कृत, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
30	प्रवक्ता, उर्दू, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
31	प्रवक्ता, गणित, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
32	प्रवक्ता, जीव विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
33	प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
34	प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
35	प्रवक्ता, इतिहास, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
36	प्रवक्ता, भूगोल, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
37	प्रवक्ता, नागरिक शास्त्र, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
38	प्रवक्ता, गृह विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
39	प्रवक्ता, कला, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
40	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
41	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
42	प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
43	प्रवक्ता (परीक्षण), मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
44	प्रवक्ता (परामर्श), मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
45	प्रवक्ता (सामान्य निदेशन), मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
46	प्रवक्ता (मनोविज्ञान), मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
47	प्रवक्ता (व्यवसायिक निदेशन), मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
48	प्रवक्ता (सांख्यिकी), मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
49	प्रवक्ता (मनोविज्ञान), मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	07	—	07	"	"	"
50	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
51	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
52	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा	01	—	01	"	"	"
53	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा	01	—	01	"	"	"
54	प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	03	—	03	"	"	"
55	प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	07	—	07	"	"	"
56	प्रवक्ता (व्यवसायिक निदेशन) काउन्सलर, मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र	10	—	10	"	"	"
57	प्रवक्ता (मनोविज्ञान), मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र	10	—	10	"	"	"

परिशिष्ट 'ख'
का
प्रतिस्थापन

5-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट 'ख' के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गई परिशिष्ट रख दी जाएगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ख'

(नियम 8 देखें)

क्र० सं०	पद का नाम	अनिवार्य/अधिमानी अर्हता
1	2	3
1	परिशिष्ट 'क' में क्र०सं०-4-शोध सहायक, विज्ञान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ	अनिवार्य- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित गणित या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०ए० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम०ए० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में पी०एच०डी० उपाधि।
2	परिशिष्ट 'क' में क्र०सं०-5-शोध सहायक सामाजिक विषय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ	अनिवार्य- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित इतिहास या अर्थशास्त्र या भूगोल या राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०ए० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

स्तम्भ-2

प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ख'

(नियम 8 देखें)

क्र० सं०	पद का नाम	अनिवार्य/अधिमानी अर्हता
1	2	3
1	परिशिष्ट 'क' में क्र०सं०-4-प्रवक्ता (शोध) विज्ञान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ	अनिवार्य- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ गणित/जीव विज्ञान/रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन०सी० टी०ई०)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ बी०ए० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन०सी० टी०ई०)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था से एम०ए० उपाधि। (दो) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई०सी०टी०) के प्रयोग में प्रवीणता।
2	परिशिष्ट 'क' में क्र०सं०-5-प्रवक्ता (शोध), सामाजिक विज्ञान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ	अनिवार्य- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ इतिहास/अर्थशास्त्र/भूगोल/राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन०सी० टी०ई०)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ बी०ए० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

1	2	3	1	2	3
		अधिमानी-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम0एड0 उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि			अधिमानी-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0)/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) से विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था से एम0एड0 उपाधि।
		या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में पी0एच0डी0 उपाधि।			(दो) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) के प्रयोग में प्रवीणता।
3	परिशिष्ट-‘क’ में क्र0सं0-13, 54, 56-प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा	अनिवार्य- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित एम0पी0एड0 या एम0पी0ई0 और बी0पी0एड0 या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम0एड0 उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में पी0एच0डी0 उपाधि या (दो) स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भाषा।	3	परिशिष्ट-‘क’ में क्र0सं0-6 [प्रवक्ता (शोध), शिक्षा शास्त्र, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ] और क्र0सं0-7, 40, 50 और 52- [प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र]	अनिवार्य- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0)/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) से विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम0एड0/एम0एड0 (प्रारम्भिक) उपाधि। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0)/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) से विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ बी0एड0 उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी- शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) के प्रयोग में प्रवीणता।
4	परिशिष्ट-‘क’ में क्र0सं0-19 -प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान-1	अनिवार्य- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित इतिहास या राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।	4	परिशिष्ट-‘क’ में क्र0सं0-13, 54 और 55-प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा	अनिवार्य- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0)/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) से विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में एम0पी0एड0/एम0पी0ई0 स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा

1	2	3	1	2	3
		(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी— (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में पी०एच०डी० उपाधि या (दो) यदि इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि हो, तो स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान (तीन) यदि राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि हो, तो स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में इतिहास (चार) यदि अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि हो, तो स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में इतिहास या राजनीति विज्ञान			उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी— शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई०सी०टी०) के प्रयोग में प्रवीणता।
5	परिशिष्ट-क में क्र०सं-20- प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान-2	अनिवार्य— (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी— (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके	5	परिशिष्ट-क में क्र०सं-19- प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान-एक	अनिवार्य— (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ इतिहास/अर्थशास्त्र/ राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन०सी०टी०ई०) / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ बी०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी— (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित

समकक्ष मान्यता प्राप्त
कोई उपाधि

या

किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से
सम्बन्धित विषय में
पी०एच०डी० उपाधि
(दो) स्नातक स्तर पर
एक विषय के रूप में
अर्थशास्त्र

6 परिशिष्ट-क
में क्र०सं०-21
और
48-प्रवक्ता
(सांख्यिकी)
तथा
सांख्यिकी
अधिकारी

अनिवार्य-

(एक) भारत में विधि द्वारा
स्थापित किसी
विश्वविद्यालय से कम से
कम 55 प्रतिशत अंको
सहित सांख्यिकी या
अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर
उपाधि या सरकार द्वारा
उसके समकक्ष मान्यता
प्राप्त कोई उपाधि।
(दो) भारत में विधि द्वारा
स्थापित किसी
विश्वविद्यालय से बी०एड०
उपाधि या सरकार द्वारा
उसके समकक्ष मान्यता
प्राप्त कोई उपाधि।

अधिमानी-

(एक) किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से
सांख्यिकी या अर्थशास्त्र
में पी०एच०डी० उपाधि।
(दो) किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से
एम०सी०ए०।

7 परिशिष्ट-क
में क्र०सं०-14
और
39-प्रवक्ता,
कला

अनिवार्य-

भारत में विधि द्वारा
स्थापित विश्वविद्यालय से
फाइन आर्ट या विजुअल
आर्ट या परफॉर्मिंग आर्ट
या एप्लाइड आर्ट या
डिजिटल आर्ट में कम से
कम 55 प्रतिशत अंकों के
साथ स्नातकोत्तर उपाधि
या सरकार द्वारा उसके
समकक्ष मान्यता प्राप्त
कोई उपाधि।

अधिमानी-

भारत में विधि द्वारा
स्थापित किसी
विश्वविद्यालय से बी०एड०

किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद्
(एन०सी०टी०ई०)/ विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से
विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था
से एम०एड० उपाधि।

(दो) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
(आई०सी०टी०) के प्रयोग में
प्रवीणता।

6 परिशिष्ट-क में **अनिवार्य-**

क्र०सं०-20-
प्रवक्ता-
सामाजिक
विज्ञान-दो

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित
किसी विश्वविद्यालय से कम से कम
55 प्रतिशत अंकों के साथ भूगोल में
स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई
उपाधि।

(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित
किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद्
(एन०सी०टी०ई०)/ विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से
विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था
से कम से कम 55 प्रतिशत अंको के
साथ बी०एड० उपाधि या सरकार
द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त
कोई उपाधि।

अधिमानी-

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित
किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद्
(एम०सी०टी०ई०)/ विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से
विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था
से एम०एड० उपाधि।

(दो) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
(आई०सी०टी०) के प्रयोग में
प्रवीणता।

7 परिशिष्ट-क में **अनिवार्य-**

क्र०सं०-21 और
48-प्रवक्ता,
सांख्यिकी

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित
किसी विश्वविद्यालय से कम से कम
55 प्रतिशत अंकों के साथ सांख्यिकी
या अर्थशास्त्र या गणित में
स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई
उपाधि।

(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित
किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद्
(एन०सी०टी०ई०)/ विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से
विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था
से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के
साथ बी०एड० उपाधि या सरकार

1	2	3	1	2	3
		उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में पी०एच०डी० उपाधि।			द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
					अधिमानी— (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन०सी०टी०ई०)/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था से एम०एड० उपाधि। (दो) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई०सी०टी०) के प्रयोग में प्रवीणता।
8	परिशिष्ट—'क' के क्र०सं०—4, 5, 13, 14, 19, 20, 21, 39, 48, 54, और 56 पर उल्लिखित पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों के लिये	अनिवार्य— (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंको सहित सम्बन्धित शाखा के विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में पी०एच०डी० उपाधि।	8	परिशिष्ट—'क' में क्र०सं०—14 और 39—प्रवक्ता, कला	अनिवार्य— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंको के साथ फाइन आर्ट/विजुअल आर्ट/ परफॉर्मिंग आर्ट/ एप्लाइड आर्ट/ डिजिटल आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी— शिक्षा शास्त्र में उपाधि।

1	2	3	1	2	3
			9	परिशिष्ट-‘क’ के क्र०सं०-43- [प्रवक्ता (परीक्षण)], क्र०सं०-44- [प्रवक्ता (परामर्श)], क्र०सं०-45- [प्रवक्ता (सामान्य निदेशन)], क्र०सं०-46- [प्रवक्ता (मनोविज्ञान)], क्र०सं०-47- [प्रवक्ता (व्यावसायिक निदेशन)], क्र०सं०-49- [प्रवक्ता (मनोविज्ञान)], मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद और क्र०सं०-56- [प्रवक्ता (व्यावसायिक निदेशन)] और क्र०सं०-57- [प्रवक्ता (मनोविज्ञान)], मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र	अनिवार्य- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंको के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मनोविज्ञान निदेशन में डिप्लोमा। अधिमानी- (एक) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई०सी०टी०) के प्रयोग में प्रवीणता। (दो) मनोविज्ञान में पी०एच०डी० उपाधि।
			10	परिशिष्ट-‘क’ में क्र०सं०-4, 5, 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56 और 57 पर उल्लिखित पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों के लिए	अनिवार्य- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंको के साथ अपने-अपने विद्यालयी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन०सी०टी०ई०)/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ बी०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

1	2	3	1	2	3
					अधिमानी— (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0ई0) / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) से विधिवत् मान्यता प्राप्त किसी संस्था से एम0एड0 उपाधि। (दो) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) के प्रयोग में प्रवीणता।

आज्ञा से,
सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2314/XV-11-2013-1499(204)-2004, dated August 22, 2013:

No. 2314/XV-11-2013-1499(204)-2004
Dated Lucknow, August 22, 2013

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Teacher Education (Lecturer's Cadre) Service Rules, 2010:

THE UTTAR PRADESH TEACHER EDUCATION (LECTURER'S CADRE)
SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2013

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Teacher Education (Lecturer's Cadre) Service (First Amendment) Rules, 2013". Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Teacher Education (Lecturer's Cadre) Service Rules, 2010, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 10 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :- Substitution of rule 10

COLUMN-1		COLUMN-2	
Existing Rule		Rule as hereby substituted	
Age	10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Age	10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Amendment
of rule 20

3. In the said rules, in rule 20, for existing sub-rule (2) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-I*Existing sub-rule*

The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in Appendix "A".

COLUMN-II*Sub-rule as hereby substituted*

(2) The scales of pay at the time of the commencement of The Uttar Pradesh Teacher Education (Lecturer's Cadre) Service (First Amendment) Rules, 2013 are given in Appendix "A".

Substitution of
Appendix "A"

4. In the said rules, for existing Appendix "A" set out in column 1 below, the Appendix as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1**Existing Appendix
APPENDIX "A"**

[See RULE 4(1) and 20(2)]

Serial no.	Name of the post	Number of posts			Scale of pay		
		Permanent	Temporary	Total	Name of pay band/ scale of pay	Corres- ponding pay band/ scale of pay (Rs.)	Corres- ponding grade pay (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Research Assistant, Hindi, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	Pay Band-2	9300 - 34800	4200
2	Research Assistant, English, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	"	"	"
3	Research Assistant, Mathematics, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	"	"	"
4	Research Assistant, Science, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Research Assistant, Social Studies, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	Pay Band	9300-34800	4200
6	Research Assistant, Education, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	"	"	"
7	Lecturer, Education, District Institute of Education and Training	-	140	140	"	"	"
8	Lecturer, Psychology, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
9	Lecturer, Hindi, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
10	Lecturer, English, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
11	Lecturer, Urdu, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
12	Lecturer, Mathematics, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
13	Lecturer, Physical Education, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
14	Lecturer, Art, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
15	Lecturer, Home Science, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Lecturer, Physics, District Institute of Education and Training	-	70	70	Pay Band	9300-34800	4200
17	Lecturer, Chemistry, District Institute of Education and Training		70	70	"	"	"
18	Lecturer, Biology, District Institute of Education and Training		70	70	"	"	"
19	Lecturer, Social Science-1, District Institute of Education and Training		70	70	"	"	"
20	Lecturer, Social Science-2, District Institute of Education and Training		70	70	"	"	"
21	Lecturer, Statistics, District Institute of Education and Training		70	70	"	"	"
22	Lecturer, Social Work, District Institute of Education and Training		70	70	"	"	"
23	Shodh Pravakta, Hindi, Rajya Hindi Sansthan, Varanasi	03	-	03	"	"	"
24	Shodh Pravakta, Sanskrit, Rajya Hindi Sansthan, Varanasi	03	-	03	"	"	"
25	Assistant Professor, English Language Teaching Institute, Allahabad	02	-	02	"	"	"
26	Lecturer, English, English Language Teaching Institute, Allahabad	04	-	04	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Lecturer, Hindi, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	Pay Band	9300-34800	4200
28	Lecturer, English, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	"	"	"
29	Lecturer, Sanskrit, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
30	Lecturer, Urdu, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
31	Lecturer, Mathematics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
32	Lecturer, Biology, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
33	Lecturer, Chemistry, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
34	Lecturer, Physics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
35	Lecturer, History, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	"	"	"
36	Lecturer, Geography, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
37	Lecturer, Civics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
38	Lecturer, Home Science, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Lecturer, Art, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	Pay Band- 2	9300 - 34800	4200
40	Lecturer, Education, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	"	"	"
41	Lecturer, Psychology, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
42	Lecturer, Economics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
43	Senior Tester, Bureau of Psychology, UP, Allahabad	02	-	02	"	"	"
44	Counsellor, Bureau of Psychology, UP, Allahabad	02	-	02	"	"	"
45	Guidance Counsellor, Bureau of Psychology, UP, Allahabad	02	-	02	"	"	"
46	Psychologist (non- gazetted), Bureau of Psychology, UP, Allahabad	02	-	02	"	"	"
47	Vocational Guidance Officer, Bureau of Psychology, UP, Allahabad	01	-	01	"	"	"
48	Statistics Officer, Bureau of Psychology, UP, Allahabad	01	-	01	"	"	"
49	Lecturer, Education, Government Nursery Training College, Allahabad	02	-	02	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Lecturer, Psychology, Government Nursery Training College, Allahabad	01	-	01	Pay Band-2	9300-34800	4200
51	Lecturer, Education, Government Nursery Training College, Agra	01	-	01	"	"	"
52	Lecturer, Psychology, Government Nursery Training College, Agra	01	-	01	"	"	"
53	Lecturer, Education, Government Physical Training College, Allahabad	01	-	01	"	"	"
54	Lecturer, Physical Education, Government Physical Training College, Allahabad	02	-	02	"	"	"
55	Lecturer, Education, Government Physical Training College, Rampur	01	-	01	"	"	"
56	Lecturer, Physical Education, Government Physical Training College, Rampur	04	-	04	"	"	"
57	Lecturer, Mathematics, Government Physical Training College, Rampur	01	-	01	"	"	"
58	Lecturer, Biology, Government Physical Training College, Rampur	01	-	01	"	"	"
59	Vocational Guidance Counsellor, Regional Psychological Centre	10	-	10	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Assistant Psychologist, Regional Psychological Centre	10	-	10	Pay Band-2	9300-34800	4200

COLUMN 2

Appendix as hereby substituted

APPENDIX "A"

[See Rules 4(2) and 20(2)]

Serial no.	Name of the post	Number of posts			Scale of pay		
		Permanent	Temporary	Total	Name of Pay Band/ Scale of Pay	Corres-ponding Pay Band/ Scale of Pay (Rs.)	Corres-ponding Grade Pay (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lecturer (Research), Hindi, State Council of Educational Research and Training, U.P., Lucknow	01	-	01	Pay Band-2	9300 - 34800	4800
2	Lecturer (Research), English, State Council of Educational Research and Training, U.P., Lucknow	01	-	01	"	"	"
3	Lecturer (Research), Mathematics, State Council of Educational Research and Training, U.P., Lucknow	01	-	01	"	"	"
4	Lecturer (Research), Science, State Council of Educational Research and Training, U.P., Lucknow	01	-	01	"	"	"
5	Lecturer (Research), Social Science, State Council of Educational Research and Training, U.P., Lucknow	01	-	01	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Lecturer (Research), Education, State Council of Educational Research and Training, U.P., Lucknow	01	-	01	Pay Band-2	9300-34800	4800
7	Lecturer, Education, District Institute of Education and Training	-	140	140	"	"	"
8	Lecturer, Psychology, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
9	Lecturer, Hindi, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
10	Lecturer, English, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
11	Lecturer, Urdu, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
12	Lecturer, Mathematics, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
13	Lecturer, Physical Education, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
14	Lecturer, Art, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
15	Lecturer, Home Science, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
16	Lecturer, Physics, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
17	Lecturer, Chemistry, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Lecturer, Biology, District Institute of Education and Training	-	70	70	Pay Band-2	9300-34800	4800
19	Lecturer, Social Science-I, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
20	Lecturer, Social Science-II, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
21	Lecturer, Statistics, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
22	Lecturer, Social Work, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
23	Lecturer, Hindi, State Institute of Hindi, Varanasi	03	-	03	"	"	"
24	Lecturer, Sanskrit, State Institute of Hindi, Varanasi	03	-	03	"	"	"
25	Lecturer, English, English Language Teaching Institute, Allahabad	02	-	02	"	"	"
26	Lecturer, English, English Language Teaching Institute, Allahabad	04	-	04	"	"	"
27	Lecturer, Hindi, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	"	"	"
28	Lecturer, English, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	"	"	"
29	Lecturer, Sanskrit, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
30	Lecturer, Urdu, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
31	Lecturer, Mathematics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Lecturer, Biology, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	Pay Band-2	9300-34800	4800
33	Lecturer, Chemistry, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
34	Lecturer, Physics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
35	Lecturer, History, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	"	"	"
36	Lecturer, Geography, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
37	Lecturer, Civics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
38	Lecturer, Home Science, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
39	Lecturer, Art, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
40	Lecturer, Education, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	"	"	"
41	Lecturer, Psychology, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
42	Lecturer, Economics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
43	Lecturer (Testing), Bureau of Psychology, U.P., Allahabad	02	-	02	"	"	"
44	Lecturer (Counselling), Bureau of Psychology, U.P., Allahabad	02	-	02	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Lecturer (General Counselling), Bureau of Psychology, U.P., Allahabad	02	-	02	Pay Band-2	9300-34800	4800
46	Lecturer (Psychology), Bureau of Psychology, U.P., Allahabad	02	-	02	"	"	"
47	Lecturer (Vocational Guidance), Bureau of Psychology, U.P., Allahabad	01	-	01	"	"	"
48	Lecturer (Statistics), Bureau of Psychology, U.P., Allahabad	01	-	01	"	"	"
49	Lecturer (Psychology), Bureau of Psychology, U.P., Allahabad	07	-	07	"	"	"
50	Lecturer, Education, Government Nursery Training College, Allahabad	02	-	02	"	"	"
51	Lecturer (Psychology), Government Nursery Training College, Allahabad	01	-	01	"	"	"
52	Lecturer, Education, Government Nursery Training College, Agra	01	-	01	"	"	"
53	Lecturer, Psychology, Government Nursery Training College, Agra	01	-	01	"	"	"
54	Lecturer, Physical Education, Government Physical Training College, Allahabad	03	-	03	"	"	"
55	Lecturer, Physical Education, Government Physical Training College, Rampur	07	-	07	"	"	"
56	Lecturer (Vocational Guidance), <u>Regional Psychological Centre</u>	10	-	10	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
57	Lecturer (Psychology), Regional Psychological Centre	10	-	10	Pay Band-2	9300-34800	4800

5. In the said rules, for existing Appendix "B" set out in Column 1 below, the Substitution of Appendix as set out in Column 2 shall be substituted, namely:- Appendix "B"

COLUMN I
Existing Appendix
APPENDIX "B"
(See Rule 8)

Serial no.	Name of post	Essential/Preferential Qualification
1	2	3
1.	Serial number 4 in Appendix-"A"-Research Assistant, Science, SCERT, UP, Lucknow	<p>Essential:</p> <p>(i) Post Graduate Degree in Mathematics or Biology or Chemistry or Physics with at least 55 per cent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>(ii) B.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>Preferential:</p> <p>M.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto,</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject.</p>
2.	Serial number 5 in Appendix-"A"-Research Assistant, Social Studies, SCERT, UP, Lucknow	<p>Essential:</p> <p>(i) Post Graduate Degree in History or Economics or Geography or Political Science with at least 55 per cent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>(ii) B.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>Preferential:</p> <p>M.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto,</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject.</p>

1	2	3
3.	Serial number 13, 54, 56 in Appendix-"A"-Lecturer, Physical Education	<p>Essential:</p> <p>(i) M.P.Ed. or M.P.E. and B.P.Ed. with at least 55 per cent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>Preferential:</p> <p>(i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto,</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject.</p> <p>(ii) Language as a subject at graduation level.</p>
4.	Serial number 19 in Appendix-"A"-Lecturer, Social Science-1	<p>Essential:</p> <p>(i) Post Graduate Degree in History or Political Science or Economics with at least 55 per cent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>(ii) B.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>Preferential:</p> <p>(i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto,</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Ph.D. Degree from a recognised University in respective subjects.</p> <p>(ii) If Post Graduate Degree in History then Political Science as a subject at graduation level.</p> <p>(iii) If Post Graduate Degree in Political Science then History as a subject at graduation level.</p> <p>(iv) If Post Graduate Degree in Economics then History or Political Science as a subject at graduation level.</p>
5.	Serial number 20 in Appendix-"A"-Lecturer, Social Science-2	<p>Essential:</p> <p>(i) Post Graduate Degree in Geography with at least 55 per cent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>(ii) B.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>Preferential:</p> <p>(i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto,</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject.</p> <p>(ii) Economics as a subject at graduation level.</p>

1	2	3
6.	Serial number 21 and 48 in Appendix-"A"- Lecturer, Statistics and Statistics Officer	<p>Essential:</p> <p>(i) Post graduate Degree in Statistics or Economics with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>(ii) B.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>Preferential:</p> <p>(i) Ph.D. Degree in Statistics or Economics from a recognised University.</p> <p>(ii) MCA from a recognised University.</p>
7.	Serial number 14 and 39 in Appendix-"A"- Lecturer, Art	<p>Essential:</p> <p>Post graduate degree in Fine Art or Visual Art or Performing Art or Applied Art or Digital Art with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>Preferential:</p> <p>(i) B.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto,</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject.</p>
8.	For all other posts except the posts mentioned at serial numbers 4, 5, 13, 14, 19, 20, 21, 39, 48, 54 and 56 in Appendix-"A"	<p>Essential:</p> <p>(i) Post graduate Degree in respective school subjects with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>(ii) B.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>Preferential:</p> <p>M.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto,</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject.</p>

COLUMN 2

Appendix as hereby substituted

APPENDIX "B"

(See Rule 8)

Serial no.	Name of post	Essential/Preferential Qualifications
1	2	3
1.	Serial number 4 in Appendix-"A"-Lecturer (Research), Science, SCERT, U.P., Lucknow	<p>Essential:</p> <p>(i) Post-graduate degree in Mathematics/Biology/ Chemistry/ Physics with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>(ii) B.Ed. Degree with at least 55 percent marks from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC) or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>Preferential:</p> <p>(i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC).</p> <p>(ii) Proficiency in the use of Information and Communication Technology (ICT) for educational purposes.</p>
2.	Serial number 5 in Appendix-"A"-Lecturer (Research), Social Science, SCERT, U.P., Lucknow	<p>Essential:</p> <p>(i) Post-graduate degree in History/Economics/Geography/ Political Science with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>(ii) B.Ed. Degree with at least 55 percent marks from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC) or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p> <p>Preferential:</p> <p>(i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC).</p> <p>(ii) Proficiency in the use of Information and Communication Technology (ICT) for educational purposes.</p>
3.	Serial number 6 [Lecturer (Research), Education, SCERT, U.P., Lucknow] and Serial numbers 7, 40, 50 and 52 (Lecturer, Education) in Appendix-"A"	<p>Essential:</p> <p>(i) M.Ed./M.Ed. (Elementary) degree with at least 55 percent marks from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/University Grants Commission (UGC),</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Post-graduate degree in Education with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto, and B.Ed. Degree with at least 55 percent marks from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC) or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.</p>

1	2	3
		Preferential: Proficiency in the use of Information and Communication Technology (ICT) for educational purposes.
4.	Serial numbers 13, 54 and 55 in Appendix-"A"-Lecturer, Physical Education	Essential: Post-graduate degree in Physical Education (M.P.Ed./M.P.E.) with at least 55 percent marks from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/University Grants Commission (UGC) or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto. Preferential: Proficiency in the use of Information and Communication Technology (ICT) for educational purposes.
5.	Serial number 19 in Appendix-"A" - Lecturer, Social Science-I	Essential: (i) Post-graduate degree in History/Economics/ Political Science with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto. (ii) B.Ed. Degree with at least 55 percent marks from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC) or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto. Preferential: (i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC). (ii) Proficiency in the use of Information and Communication Technology (ICT) for educational purposes.
6.	Serial number 20 in Appendix-"A" - Lecturer, Social Science -II	Essential: (i) Post-graduate degree in Geography with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto. (ii) B.Ed. Degree with at least 55 percent marks from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC) or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto. Preferential: (i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC). (ii) Proficiency in the use of Information and Communication Technology (ICT) for educational purposes.
7.	Serial numbers 21 and 48 in Appendix-"A"- Lecturer, Statistics	Essential: (i) Post-graduate degree in Statistics or Economics or Mathematics with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto. (ii) B.Ed. Degree with at least 55 percent marks from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC) or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.

1	2	3
		Preferential:
		(i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC).
		(ii) Proficiency in the use of Information and Communication Technology (ICT) for educational purposes.
8.	Serial numbers 14 and 39 in Appendix-"A"- Lecturer, Art	Essential: Post-graduate degree in Fine Arts/Visual Arts/Performing Arts/Applied Arts/Digital Arts with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.
		Preferential: Degree in Education.
9.	Serial number 43 [Lecturer (Testing)], Serial number 44 [Lecturer (Counseling)], Serial number 45 [Lecturer (General Counseling)], Serial number 46 [Lecturer (Psychology)], Serial number 47 [Lecturer (Vocational Guidance)], Serial number 49 [Lecturer (Psychology)] in the Bureau of Psychology, U.P., Allahabad and Serial number 56 [Lecturer (Vocational Guidance)] and Serial number 57 [Lecturer (Psychology)] in Regional Psychological Centre in Appendix-"A"	Essential: (i) Post-graduate degree in Psychology with at least 55 percent marks from a University established by law in India. (ii) Diploma in Guidance Psychology from a University established by law in India or a recognised Institution.
		Preferential: (i) Proficiency in the use of Information and Communication Technology (ICT) for educational purposes. (ii) Ph.D. degree in Psychology.
10.	For all other posts except the posts mentioned at serial numbers 4, 5, 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56 and 57 in Appendix-"A"	Essential: (i) Post-graduate degree in respective school subject with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto. (ii) B.Ed. Degree with at least 55 percent marks from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC) or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto.
		Preferential: (i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or an Institution duly recognised by National Council For Teacher Education (NCTE)/ University Grants Commission (UGC). (ii) Proficiency in the use of Information and Communication Technology (ICT) for educational purposes.

By order,
SUNIL KUMAR
Pramukh Sachiv.